केंद्रीय श्रमिक संगठन राजस्थान

इंटक एटक एचएमएस सीटू राज.सीटू

C/o हिन्द मजदूर सभा कार्यालय,रेलवे स्टेशन परिसर, जयपुर -302006, email- mmnwreu@gmail.com Mob.-9001195692

संख्या: CTU/2023/7/1 दिनांक 6 जुलाई 2023

श्रीमान् अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार,
जयपुर.

विषय:- श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा।

-.-.-.-

राजस्थान में श्रीमति वसुन्धरा राजे सरकार के शासन वर्ष 2013-2018 के दौरान श्रमिक विरोधी अनेक ऐसे निर्णय हुए थे, जिसके बाद राज्य में पूर्व सरकार विरोधी वातावरण बना। आपके नेतृत्व में राज्य में नई सरकार का गठन हुआ। सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को उम्मीद बंधी कि आपकी सरकार समय-समय पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से चर्चा करके श्रमिकों के उत्थान का कार्य करेगी। लेकिन गत साढ़े चार वर्षों में आपके द्वारा केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से वार्ता का कोई समय नहीं निकाला गया, जबकि मीटिंग के आयोजन के संबंध में संयुक्त रूप से एवं अपने-अपने स्तर पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने आपको पत्र भी लिखे है। एक बार पुनः आपका ध्यान निम्न समस्याओं की ओर इस उम्मीद के साथ आकर्षित किया जाता है कि आप केंद्रीय श्रमिक संगठनों की शीघ्र बैठक बुलाकर चर्चा करके, राज्य के श्रमिकों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर श्रमिकों को राहत प्रदान करेंगे:-

I. राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में निकटवर्ती राज्यों के समान समुचित वृद्धि नहीं की गई, इसके विपरीत प्रति वर्ष 1 जनवरी को न्यूनतम मजदूरी में पूर्ववत होने वाली नियमित वृद्धि होना भी बंद हो गई है।

II. राजस्थान रोडवेज के सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के बकाया मुद्दे जिनके निपटारे का आपने 20 अक्टूबर 2021 को वार्ता के दौरान भरोसा दिलाया था, उन पर अभी तक सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही नही किए जाने से उनका विश्वास भंग हो रहा है।

III. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए श्रम सलाहकार मंडल में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। विभिन्न कमेटियाँ अभी भी बनाया जाना बकाया है।

लगातार-2

C/o हिन्द मजदूर सभा कार्यालय,रेलवे स्टेशन परिसर, जयपुर -302006, email- mmnwreu@gmail.com Mob.-9001195692

IV. केन्द्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन करके जो 4 नए कोड बनाए गए हैं, राज्य सरकार इन्हें लागू नहीं करेगी, ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2014 में किए गए श्रम कानूनों में संशोधन को रद्द किया जाएं।

V. राज्य सरकार के श्रम विभाग की स्थिति दयनीय है। इसमें व्याप्त रिक्तियों को शीघ्र भरा जाएं। BOCW की लगभग 300 करोड़ रु की राशि का उपयोग कोविड-19 के समय जो राज्य सरकार ने किया, वह राशि लौटाई जाएं। इसी प्रकार श्रमिकों को पूर्व में प्रदत्त सुविधाएँ (शुभ शक्ति एवं मेटरनिटी) को बरकरार रखा जाएँ।

VI. 100 यूनिट फ्री बिजली एवं विद्युत सब्सिडी का लाभ रेलवे आवासों में रहने वाले कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। जबकि रेल कर्मचारी आम उपभोक्ता की भांति विद्युत प्रभार का भुगतान कर रहे है।

VII. वर्ष 2013 में राज्य कैबिनेट द्वारा पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग, आरएसईबी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी लिए गए निर्णय को लागू कराया जाएं।

VIII. अन्य विभिन्न मुद्दे जो समय-समय पर, पिछले वर्षों में आपकी जानकारी में पत्र/ज्ञापन के माध्यम से लाए गए है।

हम अपेक्षा करते हैं कि राजस्थान राज्य के श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करके निपटारा करने की दृष्टि से आप केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ शीघ्र बैठक आयोजित करेंगे।

(घासीलाल शर्मा)	(कुणाल रावत)	(मुकेश माथुर)	(रवीद्र शुक्ला)	(रामपाल सैनी)
इंटक	**एटक**	**एचएमएस**	**सीटू**	**राज. सीटू**
9829013147	**9414072554**	**94141007260**	**9414089109**	**9314931950**